No.DS_5-14011/3/2017-Section 5-DOS
भारत सरकार /Government of India
अंतरिक्ष विभाग /Department of Space
*****

अंतरिक्ष भवन/Antariksh Bhavan
न्यू बी.ई.एल. रोड/New BEL Road
बेंगलूर/Bengaluru – 560 231

जुलाई / July 12, 2018

कार्यालय ज्ञापन /OFFICE MEMORANDUM

विषय/Subject: CHSS – Improvement in the scheme based on the recommendations of CHSS Advisory Committee of the Department – reg.
*****

The undersigned is directed to state that CHSS Advisory Committee of the Department in their 18th meeting held on 04.04.2018 has considered the various issues raised by Centres/Units, Pensioners, Staff side of JCM and Pensioners' Forum seeking improvements in the scheme and made appropriate recommendations which have been further examined in the Department and accepted to the extent indicated below in supersession of earlier instructions and accordingly notified:

(i) Special clause for pregnant CHSS beneficiaries

(a) If a CHSS beneficiary wishes to avail pre-natal, natal and post-natal treatment from a CHSS/non-CHSS station, other than her CHSS station, reimbursement may be allowed as per CHSS rates. However, the post-natal treatment will be covered upto 6 months post delivery.
(b) The prime beneficiary should obtain prior approval of the Competent Authority of the Centre/Unit.
(c) Vaccination charges/New born treatment charges may be allowed as per CHSS rates.
(d) Credit facility shall not be admissible.

(ii) Enhancement of reimbursement charges towards spectacles

The maximum ceiling amount of reimbursement on purchase of spectacles is increased from ₹ 1000/- to ₹ 2000/- once in 3 years. Rare cases of change in power within 3 years may be forwarded to Department in advance for consideration on merits.

(iii) Recognition of Ayurvedic and Homeopathic Hospitals under CHSS

Centres/Units may empanel those Ayurvedic and Homeopathic Hospitals under CHSS, which are recognised under Ministry of AYUSH, Govt. of India, subject to condition that the hospital is agreed to extend medical facilities as per CGHS rates.

(iv) Dispensing of certification from Director/Officer-in charge of Indian Systems of medicine of State Government for availing Ayurvedic Panchakarma treatment

In view of the hardship faced by CHSS beneficiaries for obtaining certificate from the State Government Authority, it has been decided to relax the requirement of certificate from Director/Officer-in charge of Indian Systems of medicine of State Government for availing Ayurvedic Panchakarma treatment. To avail treatment in Indian System of Medicines in Government approved hospitals/ CHSS empanelled/approved hospitals, reference from AMO of the concerned system of medicine only shall suffice. However, reimbursement shall be restricted to CGHS, no TA/DA and assistance will be allowed.

2. Further, the clarifications sought by Centres/Units on the various issues have also been considered in the Department and the clarifications thereto are issued as under:

Sl. No.	Point of doubt	Clarifications
a.	Addition of dependents after retirement	Department vide OM No. 11011/3/2014–Sec-V dated 01.10.2015 decided that 'Family' as defined in the Central Government Health Scheme (CGHS) will henceforth apply mutatis mutandis in respect of CHSS except income ceiling for dependents. The provisions contained in 'CGHS-Definition of Family' shall be strictly followed. The cases for addition of dependents allowed under CGHS after retirement shall be followed under CHSS also with proper approval from the Competent Authority of the Centre/Unit.
b.	Reimbursement of charges incurred towards pre and post-IVF treatment and infertility treatment	The evaluation of the couple for infertility is covered under CHSS in CHSS empanelled hospital. Preliminary infertility treatment other than IVF is allowed as per CHSS rates in CHSS empanelled hospitals only. Nutritional supplements used during infertility treatment are not reimbursable
c.	Validity of referral letter issued to a beneficiary to avail treatment other than his CHSS station	The referral letter issued to a beneficiary by CHSS administration of parent centre for availing treatment in hospital outside his CHSS station is valid only for a single visit. The beneficiary has to get separate referral letter for each follow-up visit.
d.	Reimbursement of charges towards maintenance/ repair of Hearing Aid	The maintenance/repair charges of Hearing Aid are not covered under CHSS. Maintenance/repair of Hearing aid is the responsibility of beneficiary.
e.	Reimbursement of (i) nursing charges for the patients who are under palliative care unit	Very few such type of cases has been reported to the Department. Centres/Units are advised to send the data on such types of case reported in their

	or at home and (ii) charges for attendant for the patients with Autism and mentally challenged and such similar ailments	Centres/Units for consideration of the Department. Such type of cases shall be considered on case to case basis on the merits of the case by the Department.
f.	Grant of Fixed Medical Allowance to pensioners/ family pensioners residing in areas not covered under CHSS	Grant of Fixed Medical Allowance to the pensioners/ family pensioners residing at non-CHSS stations is not allowed under CHSS. Retired employees of DOS/ISRO settled in non-CHSS stations can avail CHSS benefits from the nearest CHSS station both for outpatient and inpatient care and submit the claim to their office.

3. This issues with the approval of Competent Authority.

12/7

(जी. रवि शंकर /G Ravi Shankar)
अवर सचिव, भारत सरकार /Under Secretary to the Government of India
फोन /Tele: 080-2217 2204
फैक्स /Fax: 080 2341 6474
e-mail: chss@isro.gov.in

To: Directors of all ISRO/DOS Centres/Units. - Through Intranet

सं.डी.एस.5-14011/3/2017-अनुभाग 5-अं.वि.

भारत सरकार

अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूर- 560231
12 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सी.एच.एस.एस. - विभाग की सी.एच.एस.एस. सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना में सुधार के बारे में।

***

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 04.04.2018 को आयोजित अपनी 118वीं बैठक में विभाग की सी.एच.एस.एस. सलाहकार समिति ने केंद्रों/यूनिटों, पेंशनभोगियों, जे.सी.एम. का कर्मचारी पक्ष तथा पेंशनभोगियों के फोरम द्वारा उठाए गए योजना में सुधारों की मांग करने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार किया है और उपयुक्त सिफारिशें दी हैं जिनकी पुन: विभाग में जांच की गई है और पूर्व के अनुदेशों के अधिक्रमण में निम्नांकित सीमा तक स्वीकार किया गया है तथा तदनुसार अधिसूचित किया जाता है:

(i) गर्भवती सी.एच.एस.एस. लाभार्थियों हेतु विशेष खंड

(क) यदि कोई सी.एच.एस.एस. लाभार्थी अपने सी.एच.एस.एस. केंद्र के अलावा सी.एच.एस.एस./गैर-सी.एच.एस.एस. केंद्र से प्रसव-पूर्व, प्रसव या प्रसव के बाद के उपचार करवाना चाहती है तो सी.एच.एस.एस. की दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। फिर भी, प्रसव के छ: महीनों के बाद तक प्रसव के पश्चात का उपचार शामिल होगा।

(ख) मुख्य लाभार्थी को केंद्र/यूनिट के सक्षम अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ग) टीकाकरण शुल्क/नवजात के उपचार के शुल्क की सी.एच.एस.एस. दरों के अनुसार अनुमति होगी।

(घ) क्रेडिट/उधार सुविधा लागू नहीं होगी।

(ii) चश्मे खरीदने हेतु प्रतिपूर्ति शुल्क में बढ़ोत्तरी

चश्मे खरीदने पर प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि की सीमा तीन वर्षों में एक बार 1000/- से 2000/- तक बढ़ाई जाती है। तीन वर्षों के अंदर चश्में की पावर में परिवर्तन के विशेष मामले, गुणवत्ता पर विचार करने हेतु अग्रिम रूप से विभाग में भेजे जाने चाहिए।

(iii) सी.एच.एस.एस. के तहत आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी अस्पतालों की मान्यता

केंद्र/यूनिट सी.एच.एस.एस. के तहत उन आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी अस्पतालों को सूची में रख सकते हैं, जिनको आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, बशर्ते कि अस्पताल सी.जी.एच.एस. दरों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु सहमत हों।

(iiii) PPआयुर्वेदिक पंचकर्म उपचार करवाने हेतु राज्य सरकार की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के निदेशक/प्रभारी अधिकारी से प्रमाण पत्र से छुटकारा

राज्य सरकार प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सी.एच.एस.एस. लाभार्थियों द्वारा उठाई गई कठिनाईयों के मद्देनजर, आयुर्वेदिक पंचकर्म उपचार करवाने हेतु राज्य सरकार की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के निदेशक/प्रभारी अधिकारी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छुटकारा देने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पतालों/सी.एच.एस.एस. के सूचीबद्ध/अनुमोदित अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपचार करवाने हेतु चिकित्सा की संबंधित पद्धति के ए.एम.ओ. से रेफरेंस ही पर्याप्त होगा। तथापि, प्रतिपूर्ति सी.जी.एच.एस. की दर तक सीमित होगी और कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता और सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

2. साथ ही, विभिन्न मुद्दों पर केंद्रों/यूनिटों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों पर भी विभाग में विचार किया गया है और उन पर निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

क्रम सं.	संदेह बिंदु	स्पष्टीकरण
क.	सेवानिवृत्ति के पश्चात आश्रितों को जोड़ना	विभाग ने दिनांक 01.10.2015 के का.ज्ञा. सं. 11011/3/2014-अनु.V द्वारा निर्णय लिया कि अब से केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) में यथा परिभाषित 'परिवार', आश्रितों हेतु आय की सीमा को छोड़कर सी.एच.एस.एस. के संबंध में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा। 'सी.जी.एच.एस. - परिवार की परिभाषा' में निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात सी.जी.एच.एस. के तहत अनुज्ञात आश्रितों को जोड़ने हेतु मामलों का केंद्र/यूनिट के सक्षम अधिकारी से उचित अनुमोदन के साथ सी.एच.एस.एस. के तहत अनुपालन किया जाएगा।
ख.	पूर्व एवं पश्च - आई.वी.एफ. उपचार एवं इनफर्टिलिटी उपचार हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति	इनफर्टिलिटी हेतु पति-पत्नी की जांच सी.एच.एस.एस. में सूचीबद्ध अस्पताल में सी.एच.एस.एस. के तहत शामिल है। आई.वी.एफ. को छोड़कर प्रारंभिक इनफर्टिलिटी उपचार की सी.एच.एस.एस. में सूचीबद्ध अस्पतालों में ही सी.एच.एस.एस. की दरों के अनुसार अनुमति है। इनफर्टिलिटी उपचार के दौरान उपयोग किए गए पोषण संबंधी संपूरक की प्रतिपूर्ति नहीं होगी।
ग.	अपने सी.एच.एस.एस. केंद्र के अलावा उपचार करवाने हेतु लाभार्थी को जारी रेफरल पत्र की वैधता	अपने सी.एच.एस.एस. केंद्र के बाहर किसी अस्पताल में उपचार करवाने हेतु मूल केंद्र के सी.एच.एस.एस. प्रशासन द्वारा लाभार्थी को जारी किया गया रेफरल पत्र मात्र एक बार के लिए ही वैध है। लाभार्थी को प्रत्येक अनुवर्ती उपचार हेतु अलग से रेफरल पत्र लेना होगा।
घ.	श्रवण उपकरण की देखभाल/ मरम्मत हेतु शुल्क की प्रतिपूर्ति	श्रवण उपकरण की देखभाल/मरम्मत सी.एच.एस.एस. के तहत शामिल नहीं है। श्रवण उपकरण की देखभाल/मरम्मत लाभार्थी की जिम्मेदारी है।
ङ.	(i) मरीज, जो प्रशामक	विभाग में इस प्रकार के बहुत कम मामले सामने आये

	देखभाल इकाई में या अपने घर पर हैं, के लिए नर्सिंग शुल्क और (ii) आत्मविमोह और मानसिक रूप से विकलांग और ऐसी समान प्रकार के व्याधियों वाले मरीजों के लिए परिचर हेतु शुल्क की प्रतिपूर्ति	हैं। केंद्रों/यूनिटों को सलाह दी जाती है कि अपने केंद्रों/यूनिटों में इस प्रकार के मामलों के आंकड़े विभाग में प्रेषित करें। इस प्रकार के मामलों पर विभाग द्वारा मामले की गुणवत्ता पर मामले-दर-मामले पर विचार किया जाएगा।
च.	सी.एच.एस.एस. के तहत शामिल न किए गए क्षेत्रों में निवास कर रहे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों हेतु निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्रदान करना	सी.एच.एस.एस. के तहत शामिल न किए गए क्षेत्रों में निवास कर रहे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों हेतु निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्रदान करना सी.एच.एस.एस. के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। गैर-सी.एच.एस.एस. केंद्रों में बसे हुए अं.वि./इसरो के सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों बहिरोगी एवं अंतरंग रोगी देखभाल हेतु नजदीकी सी.एच.एस.एस. केंद्र से सी.एच.एस.एस. लाभ ले सकते हैं और अपने कार्यालय को दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जी रविशंकर)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन: 080-2217 2204
फैक्स: 080 2341 6474
ईमेल: chss@isro.gov.in

सेवा में: इसरो/अं.वि. के सभी केंद्रों/यूनिटों के निदेशक - इंट्रानेट द्वारा